## पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर

कॉलेज परिसर में एकत्रित कचरे के ढेरों को उठाने बाबत सीमित निविदा की शर्ते वर्ष 2017-18

- ा. निविदादाता द्वारा कोई भी संशोधन या प्रस्ताव अस्वीकार्य है। निविदादाता कोटेशन प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत होने के बाद निविदा की सभी शर्तो व नियमों के लिये बाध्य होंगे
- 2. प्रस्तावित निविदा लिफाफे में बंद होनी चाहिये एंव अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एंव पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर मय्क्वविवरण लिफाफे पर लिखकर प्रस्तुत करनी होगी ।
- 3. निविदा की अवधि 31.3.2018 तक मान्य होगी तथा आवश्यकतानुसार दोनो की सहमित से बढाई जा सकेगी ।
- 4. बिलों का अग्रिम भुगतान नहीं किंया जावेगा तथा बिल कोषागार से पारित होने पर ही भुगतान किया जावेगा । नियमानुसार बिलों से टी.डी.एस. काटकर भुगतान किया जावेगा ।
- 5. कॉलेज परिसर में विभिन्न स्थानों पर एकत्रित किये हुए कचरे के ढेरों / कचरा पात्र में एकत्रित कचरे को इंन्चार्ज बिल्डिंग के निर्देशानुसार एक स्थान पर डालने एवं समय—समय पर परिसर से दूर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा । यह स्थान जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त एवं सुरक्षित होगा। इसकी जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी।
- 6. एकत्रित किये हुए कचरे के ढेरों / कचरा पात्र में एकत्रित कचरे को ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा ही उठाकर ट्रेक्टर ट्रोली (न्यूनतम साईज 10' x6' x 2.5') खुद के साधनों से ही डालना होगा एवं सुनिश्चित जगह पर खाली करना होगा। ट्रेक्टर ट्रोली (न्यूनतम साईज 10' x6' x 2.5') ठेकेदार द्वारा ही उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 7. उपरोक्त कार्य नियमित रूप से ही करना होगा। प्रभारी द्वारा नियमित रूप से जॉच की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत एवं सिफारिश पर (कचरा उठाया हुआ नहीं पाये जाने पर ) ठेके के बिल में से पेनलटी के रूप कटौती जावेगी। पेनलटी कटौती की दर निम्न प्रकार से है ।
  - अ. प्रथम बार डिफाल्ट होने पर ट्रेक्टर ट्रोली कचरा उठाने के भुगतान का 20 प्रतिश्राता
  - ब. द्वितिय बार डिफाल्ट होने पर ट्रेक्टर ट्रोली कचरा उठाने के भुगतान का 40 प्रतिशत ।
  - स. तृतिय बार डिफाल्ट होने पर ट्रेक्टर ट्रोली कचरा उठाने के भुगतान का 60 प्रतिशत ।
  - द. चौथे बार डिफाल्ट होने पर ट्रेक्टर ट्रोली कचरा उठाने के भुगतान का 80 प्रतिशत ।
  - य. पांचवे बार डिफाल्ट होने पर ट्रेक्टर ट्रोली कचरा उठाने के भुगतान का 100 प्रतिशत ।
  - र. पांचवे बार से अधिक डिफाल्ट होने पर ही ट्रेक्टर ट्रोली कचरा उठाने के भुगतान का 100 प्रतिशत ।
- 8. उपरोक्त कार्य की दर प्रति ट्रेक्टर ट्रोली (न्यूनतम साईज 10' x6' x 2.5') के हिसाब से प्रस्तुत करें।
- 9. श्रम विभाग एवं लेबर कॉन्ट्रेक्ट एक्ट, पोल्यूशन कन्ट्रोल के नियमों, नगर निगम नियमों आदि के तहत समस्त कानूनी देनदारी एवं जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 10. श्रम विभाग में पंजीकरण होने के 'प्रमाण-पत्र' की छाया प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

W11411 - 5

- ा. सेवाकर विभाग में पंजीकरण होने के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी या इस श्रेणी में नहीं आता हो तो इस बाबत निविदादाताओं को निविदा के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि निविदादाता सेवाकर के दायरे में आता हो तो सेवाकर जमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 12. किसी भी तरह के वाद विवाद का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।
- 13. अधिष्ठाता द्वारा ठेका किसी भी समय बिना किसी कारण बतलाये निरस्त किया जा सकेगा।

 14. उपरोक्त शर्तो के अलावा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की सामान्य निविदा शर्ते लागू होगी।

प्रभारी भवन